



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 10, 2007/आषाढ़ 19, 1929

No. 312]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 10, 2007/ASADHA 19, 1929

सड़क परिचहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2007

सा.का.नि. 475(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 (2000 का 54) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सड़कों जिनके अंतर्गत अंतरराज्यीय संयोजी और आर्थिक महत्व की सड़कें भी हैं, की विनिर्दिष्ट परियोजनाओं, स्कीमों के संबंध में और उनसे संबंधित विकास और अनुरक्षण से संबंधी क्रियाकलापों में केन्द्रीय सड़क निधि के संवितरण के लिए विन्यासित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्वयात् अपेक्षित न हों, —

(क) "अधिनियम" से केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 (2000 का 54) अभिप्रेत है ;

(ख) "कार्यपालक अभिकरण" से अभिप्रेत है —

(i) संघ राज्यक्षेत्र के मामले में, प्रशासक जिसे केन्द्रीय सरकार ने, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों के निष्पादन के संबंध में कृत्यों का प्रत्यायोजन किया है ; और

(ii) किसी अन्य मामले में, राज्य सरकार को जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन ऐसे कृत्यों का प्रत्यायोजन किया है ;

(ग) "स्कीम" से राज्य सड़कों के विकास के लिए स्कीम अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत अंतर राज्यीय संयोजी और आर्थिक महत्व की सड़कें भी हैं और स्कीम के अंतर्गत संसद के सदनों द्वारा पारित तारीख 13 मई, 1988 को केन्द्रीय सड़क निधि के शासी संकल्प द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन मंजूर राज्य सड़कों के विकास से संबंधित स्कीमों भी हैं ;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

**3. परियोजनाओं, स्कीमों और क्रियाकलापों के संबंध में निधियों का संवितरण** -- अधिनियम की धारा 7 के अधीन विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन, राज्य सड़कों के संनिर्माण और विकास से संबंधित परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों जिसके अंतर्गत अंतर राज्यीय संयोजी या आर्थिक महत्व की सड़कें भी हैं किंतु ग्रामीण सड़कों को छोड़कर और इन नियमों के नियम 4 के अनुसरण में पहचान की गई सड़कों के लिए निधियों का संवितरण होगा।

**4. पहचान की गई और पूर्विक्ता के लिए प्रक्रिया** -- (1) केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से पहचान की गई परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों के लिए निधि निर्माचित करेगी।

(2) यदि इस प्रकार पहचान की गई सभी परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों को निधि में साधनों की कमी के कारण मंजूरी नहीं हो सके, केन्द्रीय सरकार यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से निधियों की निर्मुक्ति के लिए परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों के लिए पूर्विक्ता से करेगी।

(3) यथास्थिति, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन केन्द्रीय सरकार को स्कीमों की पहचान को सुकर बनाने या उनकी पूर्विक्ता के लिए परियोजनाओं, स्कीम या क्रियाकलापों को नियम 5 और नियम 6 के अनुसार आवश्यक व्योरे देगी।

(4) राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन केन्द्रीय सरकार को परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों से संबंधित ब्योरे देते समय इन नियमों के नियम 5 और नियम 6 के अधीन यथाविहित प्रक्रिया का पालन करेंगे।

**5. राज्य सड़कों के अधीन स्कीमों का अनुमोदन** -- (1) राज्य सड़कों से संबंधित स्कीमों का अनुमोदन निम्नलिखित शैति में होगा, अर्थात् :-

(क) निधियों के उपयोग के लिए, स्कीम के अधीन पहले से मंजूर परियोजनाओं को समानुदेशित करने में पूर्विक्ता दी जाएगी और उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट नए कार्यों की मंजूरी के लिए उपयोग में प्रोद्भवन होगी।

(ख) सभी राज्य सड़कें जिसके अंतर्गत राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें और महत्व की अन्य सड़कें भी हैं जिसमें ग्रामीण सड़कें नहीं हैं।

(2) इस स्कीम में विचार किए गए कार्यों के प्रकार में निम्नलिखित होगा

(i) लुप्त प्रायः पुल, पारगामी जल निकास कार्य, पुलों का सुधार, दो लेनों को चौड़ा करना, कमजोर खंड (ज) सीवजन को सुदृढ़ करना ;

(ii) यातायात संगम के सुधार, सड़क निर्माण सिगनल, उपमार्गों और ऊपरगामी पुलों का संनिर्माण, उप लेन पार्किंग का निर्माण, बस शैलों और उसके समान प्रकृति का संनिर्माण जिसके अंतर्गत सड़क सुरक्षा के पहलुओं की इंजीनियरी भी है ;

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्यीय राजमार्गों के समानांतर आपवादिक नामलों में, निर्माण क्षेत्र में बाइ पास और समानांतर सेवा सड़कों का संनिर्माण ; और

(iv) ग्रामीण सड़कों के साथ साथ फर्वाटन महत्व के स्थानों से राष्ट्रीय राजमार्ग को संपर्क सड़कों का विकास करना ।

(3) प्रस्ताव में पर्याप्त लंबाई की सड़कें होंगी और साधारणतया कम से कम दस किलोमीटर लंबाई की होंगी, दो स्थानों को जोड़ने के लिए, संबद्ध उपनियम (2) में जहां तक उल्लिखित कार्यों में दो स्थानों को जोड़ने के लिए दस किलोमीटर जहां से कम है, के लिए अपेक्षा नहीं होगी और इसमें केवल वे ही कार्य सम्मिलित बिना किसी विल्लंगनों के भूमि उपलब्ध हैं ।

(4) कार्यपालक अभिकरण, केन्द्रीय सरकार को ग्रहण की गई परियोजनाओं की सूची उपलब्ध कराएगा जिसमें राज्य सड़क मानचित्र पर दर्शित होगा जिसमें जिला सीमारे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें या सड़कों के अन्य प्रकारों का विभिन्न रंगों में उपदर्शित होंगे, के अतिरिक्त निधि के अधीन पहले से ही अनुमोदित सड़कें भी होंगी ।

(5) परियोजनाएं इस दृष्टि से चयनित होंगी कि यथास्थिति संपूर्ण राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों का जाल का संतुलित विकास हो और प्रस्तावों के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण भी होंगे, अर्थात् :-

- (i) कार्य और जिला (जिलों)के नाम ;
- (ii) क्षेत्र को दर्शित करी हुए सूचक मानचित्र और प्रस्तावित सड़क या पुल या सुधार कार्य ;
- (iii) सुधार के लिए प्रस्तावित सड़क का प्रवर्ग चाहे राज्य राजमार्ग या प्रमुख जिला सड़क या अन्यथा हो ;
- (iv) कार्य का प्रकार जिसके अंतर्गत संक्षेप में अपनाए गए विनिर्देश भी हैं ;
- (v) लंबाई ;
- (vi) वारस्तविक अपेक्षाओं पर आधारित परियोजना की अनुमानित लागत और अनुमानित वारस्तविक लागत ;
- (vii) संभावित प्रारंभ करने की तारीख ;
- (viii) समापन की लक्ष्य तारीख ;
- (ix) परियोजना के लिए आवश्यक संपूर्ण विल्लंगनों रहित भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रमाणपत्र ।

- (6) निधि के अधीन भूमि अधिग्रहण के लिए प्राक्कलन पर विचार नहीं होगा ।
- (7) प्रस्तावित कार्य के मानक, डिजाइन और विनिर्देश केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्देशित भारतीय राइक कांग्रेस द्वारा संबंधित मार्गनिर्देशों, संहिताओं का अनुपालन करेंगे और परियोजना के पूरा होने की अवधि चौबीस मारा से अधिक नहीं होगी जिसके अंतर्गत परियोजना की निधि के लिए अवधि भी है ।
- (8) केन्द्रीय सरकार, उपर्युक्त उपनिषय (4) और उपनिषय (5) में अभिकथित प्रस्तावों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करेगी तथा कार्यपालक अधिकरण द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को तकनीकी और वित्तीय मंजूरी देगी ।
- (9) प्रस्ताव के लिए अनुमोदित प्रशासनिक रकम लागत के दस प्रतिशत से अधिक अनुज्ञेय नहीं होगी और यदि दस प्रतिशत से अधिक हो उसे कार्यपालक अधिकरण अपने संसाधनों से व्यवस्था करेगा ।
- (10) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी पुनरीक्षित प्राक्कलन पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- (11) प्रत्येक कार्य के लिए प्राक्कलन के अंतर्गत आकस्मिकता के लिए तीन प्रतिशत की दर से, क्वालिटी नियंत्रण के लिए एक प्रतिशत की दर से और निर्धारित कर्म स्थापन के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से इन शर्तों के अधधीन की उनके लिए इसके अतिरिक्त उपबंध हैं, कार्य की लागत का तीन प्रतिशत तक विस्तार निधि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रादेशिक अधिकारी के निपटान पर होगा या मानव शक्ति को किराए पर लेने के व्यय को उपगत करने के लिए और कार्य की क्वालिटी नियंत्रण का निष्पादन करने के लिए राज्य या केन्द्रीय सरकार के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी नियुक्त किया है ।
- (12) किसी अधिकरण को इस स्कीम के अधीन किसी कार्य के निष्पादन के लिए कोई प्रभार संदेय नहीं होगा ।
- (13) समाप्ति के पश्चात् परियोजनाओं के अनुसूक्षण और बालु रखने का दायित्व कार्यपालक अधिकरण का होगा ।
- (14) कार्यपालक अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्तिगत परियोजना में तकनीकी अनुमोदन, वित्तीय मंजूरी और प्रवर्तन कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन की तारीख से चार मारा की अवधि के भीतर हो जाए जिसके न होने पर कार्य को नामंजूर समझा जाएगा ।
- (15) मंजूर कार्यों को उपधाया (5) ने निर्दिष्ट ब्याँचों के साथ ही नई समय सूची के भीतर पूरा किया जाएगा ।
- (16) निधि के खर्चों का संपरीक्षण भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक द्वारा होगा और ऐसी रीति में और ऐसे अंतराल में जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
- (17) कार्यपालक अधिकरण, प्ररूप - 1 में उपयोग का प्रमाणपत्र देगा जिसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रादेशिक अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा जिसके साथ त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भी होगी जो निधि की अतिरिक्त किस्तों के निर्माण के लिए किए गए व्ययों की सीमा और कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर होगी :

परंतु किसी वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार निर्माचित सभी रकम उस वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को प्रोद्भूत रकम से अधिक नहीं होगी और रकम जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रोद्भूत हुई है उसे निर्माचित नहीं किया जाएगा।

(18) स्कीमों की कुल लागत का अनुमोदन बैंक की मंजूरी की सीमा होगी जो सामान्यतया समय की किसी भी सीमा पर अधिक नहीं होगी, वर्ष के लिए वार्षिक प्रोद्भवन दो बार होगा जो किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में स्कीमों की मंजूरी है।

**6. राज्य सड़कों के लिए निधियों का निर्माण -** (1) प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए चालु वर्ष के लिए प्रोद्भवन का एक - तिहाई मंजूर कार्यों के प्रयोग के लिए संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के व्ययन के लिए रखा जाएगा और उक्त रकम को पश्चातवर्ती निर्माण से व्ययों के पुनःपूर्ति करने द्वारा आरक्षित रूप में बनाए रखना होगा।

परंतु पश्चातवर्ती किरतों का निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर होगा और वार्षिक व्यय के अधीन कि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को वर्ष के दौरान निर्माचित कुल रकम उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उस वर्ष के लिए कुल प्रोद्भवन और पूर्ववर्ती वर्षों को प्रोद्भवन से निर्माचित नहीं हुई रकम से अधिक नहीं होगी।

(2) कार्यपालक अभिकरण निर्माण रकम के लिए उपयोग प्रमाणपत्र देगा और इन नियमों से उपाबद्ध त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और मासिक व्ययों की रिपोर्ट भी देगा।

**7. राज्य सड़कों के निर्माण और विकास के लिए रकीम को स्वीकृत करने की रीति जिसके अंतर्गत अंतर राज्यिक संयोजी और आर्थिक महत्व की सड़कों भी हैं**

(1) अंतरराज्यिक सड़कें या राज्य राजमार्ग पर सीमाओं के पुलों और प्रमुख जिला सड़कें जो दो लगे हुए राज्यों के मध्य संचार को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, दो अंतरराज्यिक संयोजी परियोजनाओं के रूप में विचार की जाएगी और निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के आधार पर उन पर विचार किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) प्रस्तावित सड़क राज्यों के मध्य अंतरराज्यिक संयोजनों को सुकर बनाएगी ;

(ii) सीमासड़कों पर किसी पुल परियोजना को पूर्णिकता दी जा सकेगी ;

(iii) ऐसी सड़कें जिन पर कम से कम पिछले तीन वर्षों में कोई सुधारत्मकता न किया गया हो ;

(iv) प्रस्तावित परियोजना की प्राक्कलित लागत सामान्यतया पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे अनुज्ञा न दे दी गई हो।

(2) राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों पर निम्नलिखित परियोजनाओं पर आर्थिक महत्व की परियोजनाओं के रूप में विचार होगा और निम्नलिखित मार्गनिर्देशों के आधार पर उन पर विचार किया जाएगा, अर्थात् :-

- (i) प्रस्तावित सड़कें या तो सीधे या किसी महत्वपूर्ण बाजार केन्द्र, आर्थिक परिक्षेत्र, औद्योगिक परिक्षेत्र, कृषि परिक्षेत्र, पर्यटन केन्द्र, धार्मिक केन्द्र और जहाँ समान महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हों, से संबद्ध होंगी ;
- (ii) सड़कें जो समाज के भेद्य वर्ग के लिए लाभकारी हों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घाट सड़कें और पारिस्थिति संवेदनशील क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें हैं ;
- (iii) आर्थिक क्रियाकलापों के केन्द्र, स्कूलों और शिक्षा संस्थानों की मुख्य सड़कें ;
- (iv) सामाजिक महत्व के अवसररचनापूर्ण जैसे अल्पेष्टि स्थल, रनानघाट, अनाशालय, गृहश्रम और लोक उपयोगिताएं की सड़कें ;
- (v) राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़कें और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली संपर्क सड़कें ।

3. प्रत्येक कार्य के लिए प्राक्कलन के अंतर्गत आकस्मिकता के लिए तीन प्रतिशत की दर से, क्वालिटी नियंत्रण के लिए एक प्रतिशत की दर से और निर्धारित कर्म स्थापन 1.5 प्रतिशत की दर से इन शर्तों के अध्वधीन कि वह उनके लिए इन उपबंधों से बाहर हैं, कार्य की लागत का तीन प्रतिशत विस्तार तक निधि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रादेशिक अधिकारी के व्ययन पर होगा या राज्य या केन्द्रीय सरकार के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो मानव शक्ति को किराए पर लेने के लिए और कार्य की क्वालिटी नियंत्रण का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किया है ।

(4) जहाँ उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी सड़क के संबंध में पिछले तीन वर्षों में सुधारकार्य किया गया है ऐसी सड़कें इन नियमों के अधीन निधि की मंजूरी के लिए विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगी ।

(5) प्रस्तावित परियोजना की लागत सामान्यतया बीस करोड़ रूपए से अनधिक नहीं होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा न दे दी गई हो ।

(6) अंतरराज्यिक संयोजी राज्य सड़कों और आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के अधीन स्कीम निम्न तक विस्तारित होगी —

(क) राज्य सड़कों के लिए आवंटन का दस प्रतिशत ;

(ख) अंतरराज्यिक संयोजी सड़कों और पुलों की परियोजनाएं निधि से पूर्णरूप से निधिक होंगी ;

(ग) आर्थिक महत्व की परियोजनाएं, अनुमोदित परियोजना लागत के पचास प्रतिशत की सीमा तक निधि द्वारा निधिक होंगी ।

(7) कार्यपालक अभिकरण, प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल को पृथक सूचियां जिसमें अंतरराज्यिक संयोजी और आर्थिक महत्व की सड़क और पुल परियोजनाओं की सीमित संख्या अंतर्विष्ट होंगी, देंगे, जिसमें मंजूरी के लिए प्रायोजक जैसे संबंधित ब्यारे और उसका न्यायवित्त भी होगा ।

(8) कार्यपालक अभिकरण ऐसे किसी प्रस्ताव को प्रायोजित नहीं करेंगे जिसके अंतर्गत भूमि अर्जन और उपयोगिता का अंतरण अंतर्वलित हो ।

8. स्कीमों का अनुमोदन और वित्त पोषण — (1) नियम 8 में निर्दिष्ट परियोजना के बाबत ब्यारे केन्द्रीय सरकार द्वारा परीक्षित होंगे और कार्यपालक अभिकरण अंतर राज्तीय संयोजी और आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों की स्कीम के अधीन मंजूरी के लिए पहचान किए गए परियोजनाओं को सूचित करेगा ।

(2) संबद्ध कार्यपालक अभिकरण, स्कीम की चयन के पश्चात् या तो अंतर राज्तीय संयोजी (पूर्णतया वित्त पोषित) या आर्थिक महत्व (पचास प्रतिशत वित्त पोषित) सभी सड़कों और पुल परियोजनाओं के लिए विस्तृत प्राक्कलन के ब्यारे देगा और उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार तकनीकी, वित्तीय मंजूरी और प्रशासनिक अनुमोदन इन शर्तों के अधीन करेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए प्राक्कलनों के बनाने या प्रसंस्करण लागू करने की बाबत पिद्यमान प्रक्रिया या मार्गनिर्देश, इस स्कीम के अधीन मंजूर परियोजनाओं को लागू होंगे ।

(3) कार्यपालक अभिकरण इस प्रभाव का प्रमाणपत्र देगा कि सड़क के विकास के लिए भूमि उपलब्ध है और उसके कब्जे में है और उपयोगिताओं को हटाने, यदि कोई हों, पूरी कर ली गई है ।

(4) अंतरराज्तीय संयोजी इस स्कीम के अधीन पूर्णतया वित्त पोषित परियोजनाओं पर मंजूरी लागत अनुज्ञेय से अतिरिक्त व्यय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समान लागू होंगे ।

(5) आर्थिक महत्व के अधीन स्वीकृत मंजूर परियोजनाओं के लिए मंजूर रकम से अधिक कोई अतिरिक्त रकम कार्यपालक अभिकरण द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(6) पूर्ण वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए अनुज्ञेय सीमाओं से बाहर कोई व्यय केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा ।

(7) आंशिक वित्त पोषित कार्यों के लिए आर्थिक महत्व प्रवर्ग की परियोजनाओं के अधीन प्राक्कलन का पुनरीक्षण अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(8) अंतरराज्तीय संयोजी परियोजनाओं के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए भेजा जा सकेगा यदि लागत मंजूर लागत पर अनुज्ञेय सीमा से परे अधिक से ज्यादा हो गई हो ।

(9) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को यथालागू निविदा (पूर्वअर्हताएं और स्वीकृति) और पुनरीक्षित प्राक्कलन के संबंध में विद्यमान विनिर्देशों या मार्गनिर्देश अंतरराज्यिक संयोजी सड़कों की पूर्णवित्त पोषित परियोजनाओं को लागू होंगे ।

(10) समाप्ति के पश्चात् सड़कों या पुलों के भविष्यकालीन रखरखाव या अनुसूक्षण का उत्तरदायित्व कार्यपालक अभिकरण का होगा ।

9. अंतरराज्यिक संयोजी या आर्थिक महत्व के कार्यों के लिए निधियों का निर्माण - (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निधियों का निर्माण किस्तों में होगा ।

(2) (i) पहली किस्त का निर्माण कार्यपालक अभिकरण द्वारा संसूचित अपेक्षाओं के आधार पर होगी और उस किस्त की मात्रा सरकारी मंजूरी में दर्शित परियोजना के प्रथम वर्ष के लिए व्ययों के चरणों के अनुसार विनियमित होगी ।

(ii) पश्चातवर्ती किस्तों का निर्माण कार्यों की प्रगति और वास्तविक व्ययों के आधार पर होगा और इस प्रयोजन के लिए कार्यपालक अभिकरण इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप - 1 और प्ररूप - 2 में केन्द्रीय सरकार को भौतिक और वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट भेजेगी जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत प्रादेशिक अधिकारी द्वारा सन्धक रूप से सत्यापित होगी ।

(3) पचास प्रतिशत वित्त पोषित कार्यों के लिए निधियों का निर्माण यथास्थिति राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संसाधनों से किए गए प्रस्तावित व्ययों के अनुक्रम होगा ।

(4) इन सभी मामलों में, आवंटन के लिए वित्तीय प्रावधानों की संपूर्ण उपलब्धता अवधारित करने का कारक होगा और संदाय तदनुसार विनियमित अनुसार होगा । संबंध कार्यपालक अभिकरण द्वारा व्यय कार्य के लिए किए गए आवंटन तक सीमित होंगे ।

10. कार्यों का निष्पादन - (1) कार्यपालक अभिकरण, निधि के अधीन मंजूर सभी परियोजनाओं जिसके अंतर्गत अंतरराज्यिक संयोजी और आर्थिक महत्व के कार्य भी हैं, के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित संप्रेक्षण करेगा कि --

(क) सड़कों या पुल परियोजनाओं का डिजाइन संबंधित केन्द्रीय सरकार की संहिता और मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) कार्यों का क्वालिटी नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्राधिकृत प्रक्रियाओं द्वारा होगा ;

(ग) परियोजनाओं की गानिटरी, नियमित अंतराल पर समय और लागत को दूर करने के लिए क्रमबद्ध रीति से की जाएगी ;



(2) कार्यपालक अभिकरण परियोजना के दोनों तिरों पर संकेत लगाएगा जिसमें कार्य का नाम और समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अन्य ब्यौरे भी देगा।

(3) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अधिकारी या उसके द्वारा कार्य के निष्पादन के दौरान कार्य के आवाधिक निरीक्षण और समय अनुसूची और उचित कार्यान्वयन के संप्रेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ऐसी जांचों को करने के लिए किसी अन्य अधिकारी या अभिकरण को नियुक्त करेगा :

परंतु कोई व्यक्ति जो किसी सिविल इंजीनियर की न्यूनतम अर्हता का सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा और निर्माण में दस वर्ष से कम का अनुभव और सड़क पुल या संबंधित संरचनाओं के अनुष्णण का अनुभव रखता हो। कार्य के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।

(4) इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी कार्यों की माप भी रखेगा जो कार्य के मानकों या विनिर्देशों के अनुसार कार्य के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य के मूल्य का तीस प्रतिशत से अत्यून सीमा तक हो सकेगा।

(5) ऐसे निरीक्षण और जांचों का प्रयोग करने के लिए आवाधिक, अंतराल या प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित होगी।

11. प्रगति रिपोर्ट और पुनर्विलोकन — (1) अंतरराज्यिक संयोजी और आर्थिक महत्व की अन्य राज्य राज्कों के मामले में कार्यपालक अभिकरण निधि से मंजूर सभी कार्यों की त्रैमासिक कार्य रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए भेजेगा और ऐसी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार प्रत्येक तिमाही की समाप्ति की रिपोर्ट से एक मास के भीतर पहुंच जानी चाहिए और कार्यपालक अभिकरण समापन रिपोर्ट या प्रमाण पत्र संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित कार्य के समाप्त होने के पश्चात् द्ध्याशीघ्र भेजेगा।

(2) अंतरराज्यिक संयोजी और आर्थिक महत्व की राज्य राज्कों के मामले में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और मासिक व्यय रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्ररूप-ज2 और प्ररूप-3 में उन प्रतियों को पृष्ठांकित ऐसे अन्य अधिकारियों को किया जाएगा जो कार्यपालक अभिकरण के संबद्ध मुख्य इंजीनियर द्वारा निदेशित हों, भेजी जाएंगी।

(3) भौतिक प्रगति के साथ साथ व्ययों को केन्द्रीय सरकार द्वारा त्रैमासिक आधार पर कार्यपालक अभिकरण के साथ पुनर्विलोकित या विचारित होगा।

#### प्ररूप - 1

#### (नियम 5 (18) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि..... करोड़/लाख रुपए की रकम पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पत्र सं० ..... तारीख..... द्वारा निर्माचित किए गए थे जिसमें ..... करोड़ /लाख रुपए केन्द्रीय सड़क निधि स्वीम के अधीन मंजूर कार्यों में व्यय कर दिए गए हैं। यह और प्रमाणित किया जाता है कि मंजूर कार्यों में ही केवल उपगत किए गए हैं और व्यष्टिक कार्यों की मंजूर लागत में अधिक नहीं हुई है।

उप सचिव/संयुक्त सचिव/सचिव

.....सरकार

## प्ररूप 2

केन्द्रीय सड़क निधि से निष्पादित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट

निष्पादक अधिकरण

समाप्त होने वाले प्रत्येक तिमाही के लिए रिपोर्ट

क्रम संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)/ मी. (पुलों के लिए)	ए.ए. की रकम (रुपए लाखों में)	ए.ए. सं. और तारीख	तकनीकी मंजूरी की रकम	मंजूरी की तारीख	भौतिक प्रगति प्रतिशत में		
							पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति तक	वर्ष के दौरान	तिमाही के अंत तक कुल प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								पेज 2 पर जारी	

हस्ताक्षर  
कार्यपालक इंजीनियर  
लोकनिर्माण विभाग

## प्ररूप 3

केन्द्रीय सड़क निधि से निष्पादित कार्यों की व्यय रिपोर्ट

राज्य :

मास :

खाते का शेष जिसमें व्यय विकलनीय होगा :

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	कार्य संख्या	कार्य के लिए अनुमोदित केन्द्रीय सहायता की रकम	पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक निर्मोचित निधि का प्रगामी योग	पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कार्यों के लिए किया गया कुल व्यय	पूर्व माह की समाप्ति को रिपोर्ट के अधीन वर्ष की 1 अप्रैल से किए गए व्यय	मास के दौरान व्यय जिससे संबंधित विवरणी है	स्तंभ 5, 6 और 7 का कुल योग	टिप्पणियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[फा. सं. एन एच-11011/2/2000-पी एंड एम]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2007

**G.S.R. 475(E).**—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Central Road Fund Act, 2000 (54 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules for the disbursement of the Central Road Fund in respect of specified projects, schemes and activities relating to development and maintenance of State roads including roads of inter-State connectivity and economic importance, namely :—

**1. Short title, and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Road Fund (State Roads) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Central Road Fund Act, 2000 (54 of 2000);

(b) “executive agency” means—

(i) in the case of a Union territory, the Administrator thereof to whom the functions of the Central Government in relation to the execution of works pertaining to national highways are delegated under article 239 of the Constitution; and

(ii) in any other case, the State Government to which such functions are delegated under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956);

(c) “scheme” means the scheme for development of state roads including roads of inter-State connectivity and economic importance and includes the schemes relating to development of State roads sanctioned under the Central Road Fund by the Resolution governing the Central Road Fund as passed by the Houses of Parliament, dated the 13th May, 1988;

(d) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Disbursement of Fund in respect of projects, schemes and activities.**—Subject to the provisions specified under section 7 of the Act, the Fund shall be disbursed for projects, schemes or activities relating to the construction and development of State roads including roads of inter-State connectivity and of economic importance but excluding the rural roads and to be identified in accordance with the rule 4 of these rules.

**4. Procedure for identification and prioritisation.**— (1) The Central Government shall identify the projects, schemes or activities for release of Funds in consultation with the State Governments or the Union territory Administrations, as the case may be.

(2) If, all the projects, schemes or activities so identified cannot be sanctioned due to shortage of resources in the Fund, the Central Government shall prioritise the projects, schemes or activities for release of Fund in consultation with the State Governments or Union territory Administrations, as the case may be.

(3) The State Governments or the Union territory Administrations, as the case may be, shall furnish necessary details as per rule 5 and rule 6 of the projects, schemes or activities to the Central Government to facilitate identification and prioritization of the schemes.

(4) The State Governments or the Union territory Administrations, while furnishing the details relating to projects, schemes or activities to the Central Government, shall observe the procedure as prescribed under rule 5 and rule 6 of these rules.

**5. Approval of schemes under State roads.**—(1) The approval of schemes relating to State roads shall be done in the following manner, namely:—

(a) for utilisation of Fund, priority may be assigned to already sanctioned projects under the scheme and the accruals shall be utilised for new works to be sanctioned as specified in sub-rule (2);

(b) all State roads including State highways, major district roads and other roads of importance excluding rural roads.

(2) The types of works to be considered in this scheme shall comprise—

(i) construction of missing bridges, cross drainage works, rehabilitation of bridges, widening of two-lanes, strengthening of weak pavement sections;

(ii) engineering aspects of road safety works covering improvement of traffic junctions, road marking, signaling, construction of subways and over-bridges, construction of parking lay-byes, bus sheds and the like;

- (iii) construction of bypasses, parallel service roads along national highways or State highways, in built up areas in exceptional cases; and
- (iv) development of connecting roads to national highways from rural roads as well as to tourist important places.
- (3) The proposals shall cover sufficient length of road and shall generally be covering at least ten kilometers length, unless the requirement for connecting two places is less than ten kilometers in so far as works mentioned in sub-rule (2) are concerned, and shall include only those works where land is available without any encumbrance.
- (4) The executive agency shall make available the Central Government a list of projects to be taken up which shall be shown on the State road map indicating district boundaries, national highways, State highways, major district roads, rural roads or other types of roads in different colours, in addition to the roads already approved under the Fund.
- (5) The projects shall be selected with a view to have a balanced development of the road network in the entire State or the Union territory, as the case may be, and the proposals shall include the following particulars, namely :—
- (i) name of the work and district(s);
  - (ii) index map showing the area and the proposed road or bridge or improvement works;
  - (iii) category of the road proposed to be improved whether the State highway or major district road or otherwise;
  - (iv) scope of the work including the specifications to be adopted in brief;
  - (v) length;
  - (vi) estimated cost of the project based on the actual requirement and realistic cost estimate;
  - (vii) probable starting date;
  - (viii) target date of completion;
  - (ix) a certificate regarding availability of the entire unencumbered land needed for the project.
- (6) The estimates for land acquisition shall not be considered under the Fund.
- (7) The standards, design and specification of the works to be proposed shall follow the relevant guidelines, codes, Indian Road Congress specifications as directed by the Central Government and the period of completion of projects shall not exceed twenty four months including period for tendering of projects.

(8) The Central Government shall accord administrative approval for the proposals as mentioned in sub-rule(4) and sub-rule (5) above and the technical approval and financial sanction of the proposals shall be accorded by the executive agency.

(9) No excess cost beyond ten per cent. of the amount administratively approved for the proposal shall be permissible and the excess, if any, over and above ten per cent. shall be arranged by the executive agency from their own resources.

(10) No revised estimate will be considered by the Central Government.

(11) The estimate for each work shall include provisions for contingencies at the rate of 3%, quality control at the rate of 1% and workcharged establishment at the rate of 1.5% subject to the condition that out of these provisions, funds to the extent of 3% of the cost of the work shall be placed at the disposal of the regional officer appointed by the Central Government or any other officer authorised for the State or Union territory for incurring expenditure on hiring manpower and execution of quality control of the works.

(12) No agency charges shall be payable for the execution of works under the scheme.

(13) Maintenance and upkeep of the projects after completion shall be the responsibility of the executive agency.

(14) The executive agency shall ensure that an individual project is technically approved, financially sanctioned and awarded within a period of four months from the date of administrative approval of work, failing which the work shall be deemed to have been de-sanctioned.

(15) The sanctioned works shall be completed within the time schedule as submitted along with the particulars referred to in sub-rule (5).

(16) The accounts of the Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India, in such manner and at such intervals, as may be specified by him.

(17) The executive agency shall furnish the utilisation certificate in Form-I duly verified by the regional officer appointed by the Central Government for the State or the Union territory along with the quarterly progress report based on which further installment of Funds shall be released to the extent of expenditure incurred and the physical progress of the work:

Provided that, the total amount so released during any financial year shall not exceed the amount accrued to the State or Union territory during that financial year and the amount which has not been released from accruals of the previous years.

(18) The total cost of the schemes to be approved shall be limited to the **bank of sanctions** which shall not normally exceed, at any point of time, two times the annual accrual for the year in which the schemes are sanctioned in respect of any State or Union territory.

**6. Release of funds for State roads.**—(1) One third of the accrual for the current year for each State or Union territory shall be placed at the disposal of the concerned State or Union territory for utilization against the sanctioned works and the said amount shall be maintained as a reserve by replenishing the expenditure from subsequent releases:

Provided that the subsequent instalments shall be released on the basis of the progress of works and actual expenditure subject to the condition that the total amount released for any State or Union territory during the year shall not exceed the total accrual for that year in respect of that State or Union territory and the amount which has not been released from accruals of previous years.

(2) The executive agency shall submit the utilization certificate for the amount released and shall also submit quarterly progress report and monthly expenditure report annexed to these rules.

**7. Manner of sanctioning schemes for construction and development of State roads including roads of inter-State connectivity and economic importance.**—(1) The inter-State roads or bridges at the border on State highway and major district roads necessary for ensuring thorough communication between two adjacent States shall be considered as the project of inter-State connectivity and shall be considered on the basis of the following guidelines, namely :—

- (i) the proposed road should facilitate inter-State connectivity between States;
- (ii) a bridge project on the border roads may be given priority;
- (iii) no improvement work should have been done in last three years on such road;
- (iv) the estimated cost of the proposed project shall not normally exceed rupees twenty-five crores unless permitted by the Central Government.

(2) The following projects on State highways and major district roads shall be considered as the projects of economic importance and shall be considered on the basis of the following guidelines, namely:—

(i) the proposed road should be either directly connecting to or leading to an important market centre, economic zone, industrial zone, agricultural region, tourist centre, religious centre and the like where significant economic activity is being undertaken;

(ii) roads benefiting vulnerable sections of the society, such as, scheduled castes, scheduled tribes, ghat roads and roads connecting ecologically sensitive areas;

(iii) roads leading to center of economic activities, schools and education

institutions;

(iv) roads leading to socially important infrastructure, such as, cremation grounds, bathing ghats, orphanages, old age homes and public utilities;

(v) roads connecting the State highways, the national highways and link roads connecting the tourist destinations.

(3) The estimate for each work shall include provisions for contingencies at the rate of 3%, quality control at the rate of 1% and workcharged establishment at the rate of 1.5% subject to the condition that out of these provisions, funds to the extent of 3% of the cost of the work shall be placed at the disposal of the regional officer appointed by the Central Government or any other officer authorised for the State or Union territory for incurring expenditure on hiring manpower and execution of quality control of the works.

(4) Where the improvement work has been done in last three years in respect of any roads referred in sub-rule (2), such roads are not eligible to be considered for sanctioning of funds under these rules.

(5) The cost of the proposed project shall not normally exceed rupees twenty crores unless permitted by the Central Government.

(6) The schemes under State roads of Inter-State connectivity and State roads of economic importance shall be covered to the extent of—

(a) ten percent. of the allocation for State roads;

(b) roads or bridge projects of inter-State connectivity shall be fully funded from the Fund;

(c) projects of economic importance shall be funded by the Fund to the extent of fifty percent. of the approved project cost.

(7) The executive agency shall, by 30th April of each year, furnish separate lists containing limited number of road and bridge projects of inter-State connectivity and economic importance which it would like to sponsor for sanction along with relevant details and justification.

(8) The executive agency shall not sponsor any proposal involving land acquisition and shifting of utilities.

**8. Approval and financing of schemes.**—(1) Particulars regarding the projects referred to in rule 6 shall be examined by the Central Government and the executive agency shall be informed of the projects identified for sanction under the scheme of State roads of inter-State connectivity and economic importance.

(2) After selection of the scheme, the executive agency concerned shall submit the detailed



estimates for all the road and bridge projects of either inter-State connectivity (fully financed) or economic importance (fifty per cent. financed) and thereafter the Central Government shall accord technical, financial sanction and administrative approval subject to the condition that the existing procedure and guidelines applicable for the national highways projects with regard to framing and processing of the estimates shall be applicable to the projects sanctioned under this scheme.

(3) The executive agency shall render a certificate to the effect that land is available for road development and is in its possession and removing of utilities, if any, has been completed.

(4) Permissible limit of excess expenditure beyond sanctioned cost on projects fully financed under this scheme of inter-State connectivity shall be the same as applicable to national highway projects.

(5) For the projects sanctioned under economic importance, any excess amount over and above the sanctioned amount shall be borne by the executive agency from their own resources.

(6) No expenditure beyond permissible limits for fully financed projects shall be committed without obtaining the previous approval of the Central Government.

(7) Revision of estimate shall not be permissible under projects of economic importance category for partially financed works.

(8) The revised estimate for inter-State connectivity projects may be submitted to the Central Government for consideration, if the cost is likely to exceed beyond the permissible limits on the sanctioned cost.

(9) The existing instructions or guidelines in respect of tenders (pre-qualification and acceptance) and revised estimates as applicable to national highway projects shall be applicable to fully financed projects of roads of inter-State connectivity.

(10) Future upkeep and maintenance of the roads or bridges after completion shall be the responsibility of the concerned executive agency.

**9. Release of funds for inter-State connectivity or economic importance works.—(1)**

The funds would be released in every financial year in installments.

(2) (i) the first instalment shall be released on the basis of requirement communicated by the executive agency and the quantum of that instalment shall be regulated in accordance with the phasing of expenditure for the first year of the project indicated in the Government sanction.

(ii) the subsequent instalment shall be released on the basis of the progress of the work and the actual expenditure and for that purpose, the executive agency shall submit the physical and financial progress reports to the Central Government in Form-I and Form-II, annexed to these rules, duly verified by the regional officer appointed by the Central Government for the State or Union territory.

(3) The release of funds for fifty percent. financed works shall be commensurate with the expenditure proposed to be incurred from the resources of the States or the Union territories, as the case may be.

(4) In all these cases, the overall availability of budget provision shall be the determining factor for allocations and the payments would be regulated accordingly. The expenditure by the concerned executive agency shall be confined to the allocation made for the work.

**10. Execution of works.**—(1) The executive agency shall, for the implementation of all the projects sanctioned under the Fund including inter-State connectivity and economic importance works, observe that—

(a) the design of the road or bridge projects shall be carried out as per the relevant Central Government codes and guidelines;

(b) for quality control of the works, authorised procedures prescribed by the Central Government shall be followed;

(c) project monitoring shall be done at regular interval in a methodical manner to avoid time and cost over run.

(2) The executive agency shall install signs at both ends of the projects displaying the name of work and other details as per instructions issued by the Central Government from time to time.

(3) The Central Government or any officer appointed by it as regional officer for the State or Union territory or any other officer or agency authorised by it shall periodically inspect the work during the execution and exercise such checks as may be necessary to ensure observance of the time schedule and proper implementation:

Provided that no person, other than a civil engineer having a minimum qualification of Diploma in Civil Engineering and possessing a minimum of ten years experience in the construction and maintenance of roads, bridges or related infrastructure shall be authorised to inspect the works.

(4) The officer so authorized shall also measure the work to an extent not less than 30% of

the value of the work to ensure execution of the work as per standards and specifications.

(5) The periodicity, intervals or the procedure for such inspection and exercising of checks shall be decided by the Central Government.

**11. Progress reports and review.**—(1) In the case of State roads other than inter-State connectivity and economic importance, the executive agency shall submit quarterly progress report of all the works sanctioned from the Fund for the quarters ending June, September, December and March every year and such report shall reach the Central Government within one month from the date of ending of each quarter, and the executive agency shall send completion report or certificate duly verified by the audit as soon as the works are completed.

(2) In the case of State roads of inter-State connectivity and economic importance, the quarterly progress report and the monthly expenditure report shall be submitted to the Central Government in Form-II and Form-III with copies endorsed to such other officer as directed by it by the concerned chief engineer of the executive agency.

(3) The physical progress as well as expenditure shall be reviewed and discussed with executive agency on quarterly basis by the Central Government.

**Form-I**  
[See rule 5 (18)]

**UTILISATION CERTIFICATE**

**It is to certify that out of an amount of Rs.....crores/lakhs released by the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, vide letter No..... dated....., an amount of Rs.....crores/lakhs has been spent on works sanctioned under the Central Road Fund scheme. It is further certified that expenditure has been incurred on sanctioned works only and has not exceeded the sanctioned cost of individual works.**

**Deputy Secretary/Joint Secretary/Secretary**  
**Government of .....**

